भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3283
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

वन-स्टॉप सेंटर के अंतर्गत कवरेज अंतराल और सेवा एकीकरण

3283. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संबल उप-योजना के अंतर्गत स्थापित वन-स्टॉप सेंटरों की कार्यक्षमता, मामला निपटान दरों और अंतर-एजेंसी समन्वय में अंतर-जिला भिन्नताओं का आकलन किया है और यदि हाँ, तो राज्यों और जनजातीय जिलों में सेवा वितरण परिणामों में कितनी भिन्नता है;
(ख) क्या ओडिशा में स्थापित वन-स्टॉप सेंटरों को वास्तविक समय रेफरल / उत्तरजीवी की सहायता के लिए जिला अस्पतालों, कानूनी सहायता प्राधिकरणों और पुलिस तंत्र के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया गया है और यदि हाँ, तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहाँ ऐसे अभिसरण तंत्र पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं;
(ग) क्या बोलंगीर जिले में स्थित वन-स्टॉप सेंटर लिंग-आधारित हिंसा से बच गए उत्तर जीवियों के लिए लगातार 24 घंटे सुलभ रहता है/ फॉलोअप तंत्र मौजूद है और वहां पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित परामर्शदाता हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार उच्च-संवेदनशील जिलों में सेवा संपरीक्षा/अवसंरचना और कार्मिकों की तैनाती को मजबूत करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): वन स्टॉप सेंटर, व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर, हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह ओडिशा राज्य सहित देश भर में ज़रूरतमंद महिलाओं को **चिकित्सा सहायता**, कानूनी

सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

ओडिशा के बोलंगीर जिले में वन-स्टॉप सेंटर, बोलंगीर के भीमा भोई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यशील है, जहां प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध हैं तथा जेंडर आधारित हिंसा के उत्तरजीवियों के लिए फॉलो-अप तंत्र के साथ 24/7 पहुंच उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। इस अध्ययन में पाया गया कि योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता संतोषजनक है।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन है। इसके अलावा, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना के अंतर्गत चल रही गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और बुनियादी सुविधाओं एवं कार्मिकों की तैनाती सहित उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करके योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

*****